अपील सूचना अधिकार संख्या 140/2020 (GCMS 2020/00235) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 48एफ–310998) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

18.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 9.09.2020 से नौ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.09.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा आपके कार्यालय को लिखे पत्रांक 25088–90 दिनांक 30.9.2015 की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. सम्भागीय आयुक्त बीकानेर का पत्रांक पत्र 9( )स.का.की./लो.स.चु.–2014/विविध/511 दिनांक 10.8.15 व पत्रांक 751 दिनांक 24.9.16 की सूचना व प्रमाणित प्रति। जो पत्रांक 25088–90 दिनांक 30.9.15 के साथ संलग्न है।
3. जिला निर्वाचन कार्यालय श्रीगंगानगर का पत्रांक 23197 दिनांक 13.8.15 की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्रांक 25088–90 दिनांक 30.9.2015 के पत्र प्राप्ति क्रमांक व दिनांक की सूचना प्रमाणित प्रति।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. इस पत्रांक पर आपके कार्यालय द्वारा जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
6. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. कार्यालय जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर का पत्रांक 2493 दिनांक 18.7.2016 की आपके कार्यालय में प्राप्ति की दिनांक की सूचना व पत्र प्राप्ति क्रमांक की सूचना।
8. पत्र प्राप्ति से दिनांक 4.5.2020 तक इस पत्रांक पर जो जो कार्यवाही की गयी है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. पत्रांक में अंकित लोकसभा चुनाव 2014 में प्रार्थी के परिवार को वितरित न करने के सम्बन्ध में श्री मलकीत सिंह, सचिव नगर परिषद्, जांच अधिकारी द्वारा जांच न करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/1283 दिनांक 07.10.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना निम्नानुसार हैः

बिन्दु संख्या 1,2,4,5,6,7,8,9 [illegible] सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) [illegible] देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की [illegible] अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो एवं कार्यालय के कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

संसाधनों प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम सा सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः आप कार्यालय दिवस/कार्यालय समय में इस कार्यालय में उपस्थित होकर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकर कर वांछित सूचना को चिन्हित कर लिखित रूप में अवगत करवावें कि आपके किस नियम क्रमांक/दिनांक, परिपत्र क्रमांक/दिनांक की आवश्यकता है ताकि नियमानुसार आपको उसकी प्रति उपलब्ध करवायी जा सके।

बिन्दु संख्य 3 के क्रम में लेख है कि सूचना का कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) में कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी को हस्तान्तरित किया गया है।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को [illegible] की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील [illegible] हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.20[illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:37 IST
Reason: SelfAttested